फर्द अहकाम

रमेशचन्द बनाम हीरालाल

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 95/2020

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
30/05/25	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता प्रार्थना पत्र 07R11 CPC पर बहस सुने एक माह से अधिक समय हो चुका है उभयपक्ष की प्रा०पत्र पर पुन: बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करके एवं दोराने बहस जाहिर तथ्यो पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी। प्रतिवादी सं० (1) का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर बस्सी जिला-जयपुर	

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारीः– शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः– 95/2020
जीसीएमएस नम्बर :–2020/00168

रमेशचन्द पुत्र हरगोविन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. हीरालाल पुत्र देवनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, पोस्ट देवगांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––प्रतिवादी

2. उप पंजीयक तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार तूंगा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।

––तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

निर्णय दिनांक 30.05.25

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 24.08.2028 को इस न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया जो दिनांक 24.08.2020 को दर्ज रजिस्टर कर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बाद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 05.10.2020 को **प्रार्थना पत्र** अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया। वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता दिनांक 23.09.2022 को प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का जवाब पेश किया गया।

30/5/25

उभय पक्षकारान् की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी०पी०सी० पर सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से लिखित बहस भी पेश की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त आवली वाद अप्रार्थी/वादी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं के पक्ष में श्रीमती धापू देवी द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 13.07.2015 के आधार पर स्वयं को धापू देवी द्वारा छोडी गई कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है।

अप्रार्थी/वादी द्वारा वाद पत्र में वास्तविक तथ्यों का समावेश किये बिना तथा बिना कोई वाद कारण उत्पन्न हुए प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

स्व० श्रीमती धापू देवी व उसके पति श्री रामू द्वारा प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या-01 को उसकी बाल्यावस्था में ही समाज की प्रथा के अनुसार गोद ले लिया था तथा जिसके संबंध में श्रीमती धापू देवी द्वारा एक गोदनामा भी दिनांक 20.06.2013 को उप.पंजियक बस्सी के समक्ष उपस्थित होकर निष्पादित करवाया गया।

श्रीमती धापू देवी द्वारा पंजीकृत गोद पत्र आज भी अस्तित्व में है तथा पंजीकृत दस्तावेज होने के कारण उक्त गोदनामें की सत्यता पर कोई अविश्वास नहीं किया जा सकता है तथा दत्तकपुत्र होने के आधार पर ही प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या-01 श्रीमती धापू देवी द्वारा छोडी गई समस्त सम्पत्तियों पर पुत्र की हैसियत से काबिज काश्त है।

तथाकथित वसीयत दिनांक 13.07.2015 श्रीमती धापू देवी की सहमति व जानकारी के बिना वादी द्वारा अपने परिवार के सदस्यों से मिलकर कूटरचित तरीके से तैयार की गई है, जो कि पढ़ने योग्य नहीं है।

प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-01 को तथाकथित वसीयत दिनांक 13.07.2015 [illegible] र्थी / प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा तथाकथित [illegible] षित [illegible] बाबत एक सिविल वाद उ[illegible] न्या[illegible] सि[illegible] ज एवं

महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-15, जयपुर महानगर-प्रथम बस्सी में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.10.2020 नियत है तथा तथाकथित वसीयत की सत्यता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जायेगी व दस्तावेज के निरस्तीकरण के संबंध में सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार होने के कारण माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद को सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है।

अप्रार्थी/वादी द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 13.07.2015 के आधार पर कृषि भूमि के संबंध में स्वयं को मालिक घोषित करवाने का अनुतोष चाहा है तथा प्रतिवादी संख्या-03 राज्य सरकार जरिये उप-तहसीलदार, तुंगा को पक्षकार बनाया गया है तथा वाद पत्र की मद संख्या-14 में उनके विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहने का वर्णन किया है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा का वाद है तथा लैण्ड होल्डर होने के कारण प्रतिवादी संख्या-02 आवश्यक पक्षकार है व राज्य सरकार के विरूद्ध दावा दायरी से पूर्व धारा-80 सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार दो माह का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है परन्तु वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या-02 व 03 को किसी प्रकार का कोई नोटिस दिये बिना उक्त वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो कि नोटिस की पालना के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अप्रार्थी/वादी द्वारा तथाकथित वसीयत के आधार पर घोषणा का वाद दायर किया गया है तथा वाद पत्र में ही सिविल न्यायालय के समक्ष गोद पत्र को निरस्त किये जाने के संबंध में वाद लम्बित होने का कथन किया गया है तथा जब तक सिविल न्यायालय द्वारा पूर्व में लम्बित वाद का निस्तारण नहीं कर दिया जाता है तब तक वादी को उक्त वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है तथा वाद कारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी संख्या–1 ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि **राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस०बी० सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 38/2010 में दिनांक 22.12.2016 को यह** सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि "यदि वादपत्र सख्ती से आदेश 7 नियम 11 के अन्तर्गत नहीं आता है, यह धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत खारिज किया जा सकता है.तुच्छ और परेशान करने वाला वाद प्रारम्भ में

30/5/25

ही दबा देना चाहिये" एवं वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है उस वाद को पढने मात्र से यह लगता है वह भी तुच्छ एवं परेशान करने वाला ही वाद है जिसे न्यायहित में प्रारम्भ में दबा दिया जाना आवश्यक एवं प्रार्थनीय है। न्यायिक दृष्यन्त डी.एन.जे. 2017(1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेरसिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर दी गई व्यवस्था पर बल दिया कि शीर्षक प्रकरण में तथ्य एंव विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं है इसलिये वादीगण का वाद तुच्छ एंव परेशान करने वाला है। इस प्रकार के वाद को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये।

विद्वान अभिभाषक वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक के तर्कों का पुरजोर विरोध करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में जो भी तथ्य वर्णित किये है ये सभी तथ्य इश्यू बनकर तय होने है, वैसे भी प्रश्न चाहे विधि का हो अथवा तो तथ्य का दोनों ही सी.पी.सी. के आदेश 14 में वर्णित प्रावधानों के तहत इश्यू बनाकर ही तय किये जा सकते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र किसी भी तरह से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं राजस्थान उच्च न्यायालयों एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अनेकों न्यायिक सिद्धान्तों में उन्होंने यह प्रतिपादित किया है कि प्रतिवादी अपने जवाब दावे में सारी आपत्तियों उठाने हेतु स्वतंत्र है एवं उसके पश्चात वाद एवं जवाब दावे में वर्णित अभिवचनों के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है तथा राजस्थान उच्च न्यायालय ने तो यहां तक निर्णय पारित कर रखा है कि प्रतिवादी को आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र लाने का ही अधिकार प्राप्त नहीं है।

प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र वेग, बेबुनियाद एवं विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत सिर्फ और सिर्फ प्रकरण को देरीना करने की गरज से एवं जवाब देही से बचने हेतु प्रतिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ताकि प्रकरण का शीघ्रता से निस्तारण न हो सकें और प्रकरण में येनकेन प्रकारेण वेग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसके निस्तारण में देरीना की जा सकें।

30/5/25

उत्तरदाता. वादी ने आर०टी०एक्ट० के तहत वाद पेश किया है एवं उक्त धाराओं में माननीय न्यायालय को वादपत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार/ क्षेत्राधिकार प्राप्त है एवं वादी ने आर०टी०एक्ट० के तृतिय परिशिष्ट में वर्णित अनुसार पूर्ण न्यायशुल्क अदा किया है।

प्रतिवादी द्वारा पेशः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की किसी भी परिधि को पूर्ण ना किये जाने से काबिले खारिज योग्य है।

वादी ने वादपत्र में समस्त वास्तविक तथ्यों का अकन किया है एवं यह कथन गलत है कि वादी द्वारा वादपत्र में वास्तविक तथ्यों का समावेश किये बिना तथा बिना वादकारण उत्पन्न हुये प्रस्तुत किया है, वादी ने वादपत्र के मद नम्बर 11 व 13 में वादकारण के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है एवं वाद हेतुक का प्रश्न Pure question of law नहीं होकर Bundle of Fact है जो कि वाद में साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की किसी भी परिधि को पूर्ण ना किये जाने से काबिले खारिज है।

यह कथन गलत है कि स्व० श्रीमति धापूदेवी व उसके पति रामू द्वारा प्रार्थी संख्या एक को उसकी बाल्यावस्था में ही समाज की प्रथा के अनुसार गोद ले लिया था। यह कथन गलत है कि श्रीमति धापू देवी द्वारा एक गोदनामा दिनांक 20.06.2013 को उप पंजीयक बस्सी के समक्ष उपस्थित होकर निष्पादित करवाया गया।

प्रतिवादी ने जिस तथाकथित गोदनामें का उल्लेख किया है उसके संबंध में वादी ने वादपत्र के मद नम्बर तीन लगायत सात में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

स्व० धापू देवी ने अपनी पूर्ण सहमति एवं स्वतंत्र इच्छा से वादी के हक में वसीयत निष्पादित की थी। वादी का वाद किसी भी विधि द्वारा वर्जित वाद नहीं है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 की परिधि में नहीं आता है विधि की यह मंशा है कि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय सिर्फ और सिर्फ वादी के द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का पढ़ा जावेगा उसके अलावा किसी अन्य दस्तावेज, जवाब दावे एवं प्रार्थना पत्र को नहीं पढ़ा जावेगा एवं वादपत्र को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि

20/5/25

वादी के वाद पत्र पर सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने ने जो भी तथ्य अंकित किये है वह सिर्फ अपने पक्षकार को प्रभावित करने के लिये अंकित है।

जब मृतक धापू ने प्रतिवादी को गोद लिया ही नहीं तो प्रतिवादी को मृतक धापू देवी द्वारा वादी के हक में निष्पादित की गई वसीयत को चुनौती देने का कोई एंक व अधिकार नहीं है। वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 की परिधि में नहीं आता है विधि की यह मंशा है कि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय सिर्फ और सिर्फ वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को पढ़ा जावेगा उसके अलावा किसी अन्य दस्तावेज, जवाब दावे एवं प्रार्थना पत्र को नहीं पढ़ा जावेगा एवं वादपत्र को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि वादी के वादपत्र पर सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी अधिवक्ता ने उक्त मद में जो भी तथ्य अंकित किये है वह सिर्फ अपने पक्षकार को प्रभावित करने के लिये अंकित है।

वादी ने अपनी ओर से प्रस्तुत वादपत्र के मद नम्बर चौदह में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। एवं वादी ने वादपत्र के मद नम्बर 17 के उपमद क, ख, ग, घ में अनुतोष के संबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है एवं वादी ने अनुतोष में प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा है।

वादी ने अपने वादपत्र के मद नम्बर 12 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि वादी अधिकारी है कि वह भूमि वादग्रस्त का हिस्सा 1/2 जो कि अवैध दस्तावेज गोदपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है उस हिस्से 1/2 को सिविल न्यायालय में वाद के विचाराधीन रहते, सुरक्षित रखते हुये शेष हिस्सा 1/2 का वसीयत दिनांक 13.07.2020 को आधार पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करावें इसलिए प्रतिवादी द्वारा उक्त मद में वर्णित तमाम तथ्य गलत होने से अस्वीकार है एवं वादी ने वाद के मद नम्बर 11 व 13 में वादकारण के संबध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है एवं वाद हेतुक का प्रश्न Pure question of law नहीं होकर Bundle of Fact है जो कि वाद में साक्ष्य लेकर ही तय किया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 की किसी भी परिधि को पूर्ण ना किये जाने से काबिले खारिज है। वादी

30/5/25

का वाद आदेश 7 नियम 11 की परिधि में नहीं आता है विधि की यह मंशा है कि आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र निस्तारित करते समय सिर्फ और सिर्फ वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को पढ़ा जावेगा उसके अलावा किसी अन्य दस्तावेज, जवाब दावे एवं प्रार्थना पत्र को नहीं पढ़ा जावेगा एवं वादपत्र को पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि वादी के वादपत्र पर सुनवाई का माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने जो भी तथ्य अंकित किये है वह सिर्फ अपने पक्षकार को प्रभावित करने के लिये अंकित है, इत्यादि तर्को के आधार पर निवेदन किया कि प्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वेग, बेबुनियाद एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर आधारित होने के कारण एवं प्रकरण को दैरीना करने की गरज से पेश होने के कारण उसे मारी हर्जे-खर्च सहित खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विद्धान अभिभाषक वादी ने मुख्य रूप से बारम्बार यह तर्क प्रस्तुत किया आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते वक्त सिफ और सिर्फ वाद पत्र में वर्णित तथ्यो को पढा जायेगा। हम विद्धान अभिभाषक वादी के उक्त तर्क से सहमत है और वाद पत्र का पठन किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

वादी ने अपने वाद पत्र में कथन किया कि भूमि वादग्रस्त के मूल खातेदार रामू पुत्र मोहन थे, रामू पुत्र मोहन एवं उसकी पत्नि धापूदेवी के स्वयं के कोई जायन्दा संतान उत्पन्न नहीं हुई थी, ना ही रामू पुत्र मोहन एवं धापूदेवी ने अपने जीवनकाल में किसी को गोद लिया था। रामू पुत्र मोहन की दिनांक 15.05.2013 को मृत्यु हो गई। रामू पुत्र मोहन की मृत्यु के पश्चात् प्रतिवादी संख्या एक ने धापूदेवी को यह कहकर बहलाया फुसलाया कि स्वर्गीय रामू की मृत्यु के संबंध में उसका बयान तहसील में होना है जिस बात पर विश्वास कर धापूदेवी प्रतिवादी संख्या एक के साथ तहसील बस्सी चली गई जहाँ प्रतिवादी संख्या एक ने धापूदेवी के अनपढ़ होने व पति की मृत्यु के गम में दिमागी हालत ठीक नहीं होने का फायदा उठाकर उसकी कई कागजों पर अंगूठा निशानी लगवाकर धोखा देने की गरज से एवं रामू व धापू देवी की चल व अचल सम्पत्ति को हडपने के उद्देश्य से फर्जी, नुमाईशी व अवैध गोदनामा दिनांक 20.06.2013 को निष्पादित करवा लिया एवं उस फर्जी, नुमाईशी व अवैध गोदनामा के

30/5/25

आधार पर भूमिवादग्रस्त में हिस्सा 1/2 का नामान्तरकरण अपने नाम से खुलवा लिया। धापूदेवी को उक्त कूटरचित, फर्जी, नुमाईशी व अवैध गोदनामें की जानकारी होते ही धापूदेवी ने अपने जीवनकाल में उक्त फर्जी गोदनामें को निरस्त किये जाने बाबत् माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क०स०) क्रम संख्या 24 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष वाद प्रस्तुत कर दिया जो कि बाद में माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क०ख०) क्रम संख्या 32 बस्सी जयपुर महानगर जयपुर में स्थानान्तरित हो गया एवं वर्तमान मे माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क०ख०) क्रम संख्या 16 बस्सी जयपुर महानगर प्रथम जयपुर में विचाराधीन है। धापूदेवी को फर्जी, नुमाईशी एवं अवैध गोदनामें की जानकारी होते ही धापूदेवी ने अपने जीवनकाल में विधि अनुसार दिनांक 13.07.2015 को वादी के हक में वसीयत निष्पादित कर वादी को धापूदेवी की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त सम्पत्ति एवं समस्त चल व अचल सम्पत्ति का मालिक स्वामी कायम किया। उक्त वसीयत दिनांक 13.07.2015 में धापूदेवी ने स्पष्ट रूप से कथित गोदनामा को प्रतिवादी हीरालाल के द्वारा धोखाधडीपूर्वक, षडयंत्रपूर्वक, कूटरचित किये जाने का कथन करते हुये उक्त तथाकथित फर्जी गोदनामें को निरस्त करने हेतु लम्बित प्रकरण में धापूदेवी की मृत्यु के पश्चात् वसीयतग्रहिता वादी को उपरोक्त कार्यवाही के लिये अधिकृत किया था। वादी ने धापूदेवी की मृत्यु के पश्चात् माननीय न्यायालय अपर सिविल न्यायाधीश (क०ख०) कम संख्या 16 बरसी जयपुर महानगर प्रथन जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद गोदपत्र निरस्तीकरण में धापूदेवी के स्थान पर वसीयत दिनांक 13.07.2015 के आधार पर पक्षकार बनाये हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्रतिवादी संख्या एक ने फर्जी, नुमाईशी, अवैध गोदपत्र के आधार पर भूमि वादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में जो अपना नाम हिस्सा 1/2 दर्ज करवा लिया है उक्त हिस्सा 1/2 के संबंध में सिविल न्यायालय में विचाराधीन वाद में निर्णय पारित होने के पश्चात् हिस्सा 1/2 के लिये वादी की ओर से पृथक से कार्यवाही की जावेगी। धापू देवी की दिनांक 03.02.2020 को मृत्यु हो चुकी है भूमिवादग्रस्त के राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में धापूदेवी के नाम दर्ज हिस्सा 1/2 के संबध में ही वादी की ओर से यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। धापूदेवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 13.07.2015 को वादी के हक में इस आशय की वसीयत निष्पादित की थी कि मेरे व मेरे पति स्व. रामू के कोई जायन्दा पुत्र एवं पुत्री संतान नहीं हुई है ना ही मेरे स्वर्गीय पति व ना ही मैंने

20/5/25

अपने जीवनकाल में किसी व्यक्ति को गोद लिया है मेरे पति का स्वर्गवास दिनांक 15.05.2013 को चुका है एवं मैं अपनी समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति का अपने जीवनकाल में ऐसा प्रबन्ध करना चाहती हूँ कि जिससे मेरे स्वर्गवास के बाद मेरी चल व अचल सम्पत्ति किसी प्रकार के झगडे टन्टों में बराबर न होने पावें, और जो मेरी सेवा एवं देखभाल कर रहा है वो अपनी सेवाओं के बदले अपने अधिकारों से वंचित न रहे। अतः मैं बहुत सोच समझकर अपनी वसीयत कर रही हूँ- यह कि जब तक मैं स्वयं जीवित हूँ। मैं स्वयं ही मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की पूर्णतया मालिक, काबिज, व मुख्त्यार हूँ व रहूंगी। जैसा भी मैं अपनी चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में जैसा मैं अपनी समझ के अनुसार उचित समझूंगी वैसा करूंगी, किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का दखल देने का हक य अधिकार मेरी चल अचल सम्पत्ति में नहीं होगा। रमेशचन्द मीना पुत्र श्री हरगोविन्द मीना जाति मीना निवासी ग्रान चतरपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान मेरे सगे भाई का पुत्र है जिससे में बहुत प्रेम करती हूँ जो मेरी बहुत सेवा व देखभाल करता है और मुझको इससे प्रेम व गोहब्बत है और मुझे आशा है कि आयन्दा भी ये मेरी सेवा, देखभाल, खातिर करता रहेगा। मैं इसकी सेवाओं से बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे मेरे भाई के पुत्र से कोई शिकायत नहीं है इसलिए मेरे स्वर्गवास के बाद मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति मौजूदा या आईन्दा जो उपार्जन मैं करूं उस सबका मालिक मेरे सगे भाई का पुत्र रमेश चन्द मीणा होगा। जो अपनी स्वैच्छिक सहमति से अपने हस्ताक्षर कर मेरी समस्त अचल सम्पत्ति को विक्रय, लीज, किराया रहन पर दे सकेगा एवं मेरी समस्त चल सम्पत्ति को भी अपने हस्ताक्षरों से प्राप्त कर सकेगा। मेरे समान मेरे भाई का पुत्र रमेश चन्द मीना पूर्णतया मेरी चल एवं अचल सम्पत्ति का मालिक, काबिज, स्वामी व मुख्त्यार रहेगा. किसी भी अन्य व्यक्ति को मेरी चल व अचल सम्पत्ति में किसी प्रकार का दखल देने का अधिकार नहीं होगा एवं ना ही किसी अन्य व्यक्ति को मेरी चल व अचल सम्पत्ति से कोई संबंध व सरोकार नहीं रहेगा, मेरी चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में मेरे सौ वर्ष पूरे होने के बाद (अर्थात) मेरे स्वर्गवास के बाद मेरे भाई के पुत्र रमेशचन्द मीणा को समस्त प्रकार के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो अब तक मुझे प्राप्त थे। मेरी अचल सम्पत्ति में मेरे पास ग्राम विमलपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 173 रकबा 15 बिस्वा, 173/1 रकबा 1 बीधा 16 बिस्वा, 173/2 रकबा 2 बीधा 9 बिस्वा, 173/2 रकबा

30/5/25

2 बीघा 3 बिस्वा 173/4 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, 176/5 रकबा 10 बिस्वा, 176/6 रकबा 14 बिस्वा, 196 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा है एवं इसके अलावा ग्राम विमलपुरा में मेरे पति का एक आवासीय पुश्तैनी मकान है एवं चल सम्पत्ति में मेरे बैंक में रखी हुई मेरी जमा पूंजी एवं इसके अलावा अन्य समस्त चल व अचल सम्पत्तियाँ जिनके मेरे पति व मैं मालकिन हूँ। मेरे दूर के कुटुम्ब के देवर के लड़के हीरालाल ने मेरे पति की मृत्यु के पश्चात् मेरे साथ धोखाधड़ीपूर्वक षड़यंत्र करते हुये अपने पक्ष में एक फर्जी व कूटरचित गोदनामा तैयार करवा लिया जिसको निरस्त करवाने हेतु मेरे द्वारा सक्षम न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है यदि वह कार्यवाही मेरे जीवनकाल में पूरी हो जाती है तो ठीक है वरना मेरी मृत्यु के पश्चात मेरे भाई के पुत्र रमेशचन्द द्वारा यह कार्यवाही की जावेगी जो कार्यवाही मेरे द्वारा किये जाने के समान ही मानी जावेगी तथा **सक्षम न्यायालय से गोदनामा निरस्त होने के पश्चात् उस सम्पत्ति का भी एकमात्र मालिक मेरे भाई का पुत्र रमेशचन्द होगा।** मेरी मृत्यु के पश्चात् मेरी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में मेरे स्वर्गवास के बाद मेरे भाई हरगोविन्द के पुत्र रमेश चन्द को समस्त प्रकार के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जावेगे, जो मुझे अब तक प्राप्त थे। जिस प्रकार वह उचित समझे मेरा नाम कायम रखते हुये लाभ उठावे। यह कि यह मेरी प्रथम व अन्तिम वसीयत है इसके पहिले की कोई तहरीर या दस्तावेज यदि मेरी नविशता वर आमद होगी तो इस दस्तावेज वसीयत हाजा के मुकाबले में कतई बेअसर व रद्द समझी जावेगी। मुझसे व मेरी सम्पत्ति से मोहब्बत व प्रेम रखने वालों को मेरी वसीयत मान्य होगी कोई व्यक्ति मेरी इस वसीयत के बाबत कोई झगडा या टन्टा नहीं करेगा। अतः यह वसीयतनामा मैने राजी खुशी, स्वस्थ चित्त स्थि बुद्धि की अवस्था में 100/-रूपये के मुद्रा पत्र व तीन किता पाई पेपर पर लिख दिया जो सनद रहे व समय पर काम आयें। घापूदेवी द्वारा अपने जीवनकाल में रूबरू गवाहान निष्पादित की गई वसीयत दिनांक 13.07.2015 के आधार पर वादी ही भूमि वादग्रस्त का एकमात्र मालिक स्वामी है। अभी हाल में धापू की मृत्यु दिनाक 03.02.2020 को होने के पश्चात् वादी ने दिनांक 10.08.2020 को वसीयत दिनांक 13.07.2015 की पालना में नामान्तरकरण खुलवाने के संबंध में पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने यह कहते हुये नामान्तरकरण खोलने से इन्कार कर दिया कि प्रतिवादी संख्या एक ने श्रीमति धापूदेवी के नाम दर्ज हिस्से

30/5/25

का नामान्तरकरण नहीं खोलने बाबत ऐतराज कर रखा है इसलिए वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष उपरोक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी अधिकारी है कि वह भूमि वादग्रस्त का हिस्ता 1/2 जो कि अवैध दस्तावेज गोदपत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या एक के नाम दर्ज है उस हिस्से 1/2 को सिविल न्यायालय में बाद के विवाराधीन रहते. सुरक्षित रखते हुये शेष हिस्सा 1/2 का वसीयत दिनाक 13.07.2020 के आधार पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करावें एवं प्रतिवादी संख्या एक को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वह विवादित गोदनामे के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण नहीं खुलवायें अथवा ऐसा अवैधानिक कृत्य ना करें जो वादीगण के हक व अधिकारों के विरूद्ध हो तथा उक्त समस्त कार्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वादी को सर्वप्रथम वादकारण धापूदेवी की मृत्यु दिनांक 03.02.2020 के उपरान्त हुआ एवं उसके पश्चात् दिनांक 10.08.2020 को उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। विनाय दावा उत्पन्न होने से वादी यह वादपत्र माननीय न्यायालय के समक्ष विधिवत पेश करवा रहा है। वादी द्वारा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। भूमि वादग्रस्त के ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का देवगांव भूअभिलेख निरीक्षक देवगांव तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित होने तथा राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि होने से माननीय न्यायालय को इस वादपत्र की सुनवाई का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश है।

इस्तदुआ दादरसी निम्न है -

(क) वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या एक घोषणा इस आशय की डिकी फरमाई जावें कि वादी को वसीयत दिनांक 15.07. 2015 के आधार पर भूमि वादग्रस्त हाल खसरा नम्बर 173 रकबा 0.1897 है०, 173/1 रकबा 0.4553 है०. 173/2 रकबा 06070 है०. 173/3 रकबा 0.5437 है०, 173/4 रकबा 0.3035 है0 173/5 रकबा 0.1265 है०, 173/6 रकबा 0.1770 है०, 196 रकबा 0.1897 है० कुल किता 8 कुल रकबा 2.5923 हैक्टेयर वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का देवगांव भूअभिलेख निरीक्षक

30/5/25

मुकाम तहसील बस्सी जिला जयपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

(ख) प्रतिवादी संख्या एक को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावद्द किया जावें कि वह विवादित गोदनामे के आधार पर विवादित भूमि का नामान्तरकरण नहीं खुलवावें अथवा ऐसा अवैधानिक कृत्य ना करें जो वादीगण के हक व अधिकारों के विरुद्ध हो तथा उक्त समस्त कार्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट प्रतिनिधि इत्यादि से करावें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

(ग) हर्जा खर्चा वाद वादी प्रतिवादी सख्या एक से दिलाया जावें।

(घ) उक्त अनुतोष अथवा किसी अन्य अनुतोष का पाने का वादी पृथक से अधिकारी पाया जावे तो वह पृथक से दिलवाया जायें।

हमने वादी के वाद पत्र के साथ प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमावन्दी संवत् 2073 से 2076 का अवलोकन किया जिसके खाता संख्या नया 38 पुराना 38 में विवादित भूमि की खातेदारी धापूदेवी पत्नि रामू हिस्सा 1/2 जाति मीना सा0 देह एंव हीरालाल दत्तक पुत्र रामू हिस्सा 1/2 जाति मीना साकिन देह दर्ज रिकार्ड है। वादी के वाद पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि पक्षकारान् के मध्य गोदनामा दिनांक 20.06.2013 के संबंध में सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष दीवानी वाद विचाराधीन है और दीवानी न्यायालय द्वारा उक्त गोदनामा की वैधता अथवा अवैधता का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। वादी द्वारा वसीयत नामा दिनांकित 13.07.2015 के आधार पर खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है परन्तु वादी स्वंय ने उक्त वसीयत नामा की भाषा का वर्णन अपने वाद पत्र में किया है जिसमें वसीयकर्ता द्वारा यह उद्दृत है कि **सक्षम न्यायालय से गोदनामा निरस्त होने के पश्चात् उस सम्पत्ति का भी एकमात्र मालिक मेरे भाई का पुत्र रमेशचन्द होगा।** चूँकि सक्षम सिविल न्यायालय में गोदनामा निरस्तीकरण का वाद विचाराधीन है जिसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। वसीयत नामा में अंकित उक्त इबारत के आधार पर वादी का दावा प्रिमैच्योर है। वादी को उक्त वसीयत में अंकित उक्त इबारत के आधार पर प्रिमैच्योर दावा प्रस्तुत करने का कोई वादहेतुक उत्पन्न नहीं हुआ है। वादी का दावा इसी आधार पर वादहेतुक के अभाव में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

30/5/25

प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने प्रार्थना पत्र में यह प्रकट किया कि प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या-01 को तथाकथित वसीयत दिनांक 13.07.2015 की जानकारी होने पर प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा तथाकथित वसीयत को अवैध एवं शून्य घोषित करवाने बाबत एक सिविल वाद उनवान हीरालाल बनाम रमेशचन्द, न्यायालय अपर सिविल जज एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या-15, जयपुर महानगर-प्रथम बस्सी में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 06.10.2020 नियत है तथा तथाकथित वसीयत की सत्यता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जायेगी व दस्तावेज के निरस्तीकरण के संबंध में सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार होने के कारण माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद को सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस न्यायालय की विनम्र राय में वादी का दावा उक्त वसीयत पर आधारित है और उक्त वसीयत को अवैध व शुन्य घोषित कराने का वाद सक्षम सिविल न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें उक्त वसीयत की वैधता एंव अवैधता का निस्तारण होना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय को विवादित वसीयत पर आधारित दावा श्रवण एंव निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नहीं है।

अतएव प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद पत्र बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारीः– शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

न्यायालय सहायक कलक्टर, बस्सी जिला जयपुर
पीठासीन अधिकारीः– शिप्रा जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः– 95/2020
जीसीएमएस नम्बर :–2020/00168

रमेशचन्द पुत्र हरगोविन्द, जाति मीना, निवासी ग्राम चतरपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। **––वादी**

बनाम

1. हीरालाल पुत्र देवनारायण, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, पोस्ट देवगांव, तहसील बस्सी, जिला जयपुर। **––प्रतिवादी**
2. उप पंजीयक तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर।
3. राज्य सरकार जरिये उप तहसीलदार तूंगा तहसील बस्सी, जिला जयपुर। **––तरतीबी प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्धई रूबरू ---------- मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद पत्र बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना–अपना वहन करे।

30/5/25

निज------ मुबलिग--------- बाबत् -------- खर्चा इस
दमा के मय सूद बशरह-------फीसदी सालाना/आज की तारीख
तारीख अदागी तक ---------- को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 30.05.25 को
ारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प अर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिशनर बाबत् इजराय			फीस कमिशनर बाबत् इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

दस्तखत
मुहर
30/5/25

शिप्रा जैन
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर, बस्सी
जिला जयपुर।